

## न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास- पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -65/2021

आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2021/93

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
उस्मान खां पुत्र बक्सु खां जाति कायमखानी निवासी डांगावास तहसील मेडतासिटी जिला नागौर		1. राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का डांगावास तहसील मेडता जिला नागौर 2. नायब तहसीलदार/तहसीलदार मेडता।

उपस्थिति:-

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री पीर मोहम्मद।
3. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय

दिनांक 18-10-2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार मेडतासिटी द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2020 सरकार बनाम उस्मान अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2021 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, लिखित बहस में कथन किया कि उपरोक्त अनवान की अपील माननीय न्यायालय में निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मेडता जिला नागौर के प्रकरण संख्या 08/2020 निर्णय दिनांक 09.07.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। पटवार हल्का डांगावास द्वारा अपीलांट को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से झुठा व मनगढत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पटवारी जनाणा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता के समक्ष जो आवेदन दिनांक 06.09.2020 को पेश किया गया, उसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही फर्जी व मनगढत हैं, उक्त आवेदन पर पटवारी के हस्ताक्षर दिनांक 26.07.2020 के हैं, तो भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर दिनांक 31.08.2020 के हैं, जिन तथ्यों से स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही अदावती वश की गई हैं, जिन तथ्यों की तरफ ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम का जो नोटिस दिया गया है, वह भी गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर दिया गया है, अपीलांट को जिस भूखण्ड के संबंध में नोटिस दिया गया है, वह भूखण्ड खसरा नम्बर 995 का भाग नहीं है, बल्कि खसरा नम्बर 993 का भाग है, खसरा नम्बर 993 का वास्तविक स्वामी व विक्रेता श्यामसुन्दर पुत्र बालकिशन भुतडा था, जिसने अपनी खातेदारी की भूमि में प्लोटिंग की है तथा प्लोटिंग का नक्शा बनाया, जिस नक्शे को पटवारी द्वारा वेरीफाई किया गया है। खसरा नम्बर 993 के प्लोटिंग के नक्शे से स्वयं डांगावास पटवारी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वेरीफाई किया गया है तथा सही माना गया है, उसके उपरांत नियामत बानो को प्लोटिंग किये गये भूखण्ड में से भूखण्ड संख्या 28 को श्यामसुन्दर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया था तथा अपना रहवासी पक्का मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे थे, अब श्यामसुन्दर व पटवारी चैनाराम के मध्य आपसी विवाद होने के कारण व मुझ अपीलांट से राजनैतिक नाराजगी के कारण पटवारी चैनाराम ने झुठी कार्यवाही की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.07.2021 में अंकित किया है कि गैर सायल वकील की ओर से दिनांक 19.10.2020, 17.12.2020, 03.02.2021 व 10.03.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया, जो तथ्य पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत व निराधार अंकित किये गये हैं, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.10.2020 को अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया जा चुका था, उसके बाद अपीलांट द्वारा

उस्मान खां बनाम राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का डांगावास वगैराह किसी प्रकार का कोई जवाब बार बार प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार बार चार दफे जवाब प्रस्तुत करना अंकित किया गया है, जो गलत व निराधार अंकित किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.12.2020 को जवाब प्रस्तुत होना बताया है, जबकि दिनांक 17.12.2020 को अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया था, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.02.2021 को पुनः जवाब प्रस्तुत करने का अंकन किया है, जबकि दिनांक 03.02.2021 को अपीलांत द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि अपीलांत द्वारा अपीलांत की भूमि का व आस पास की भूमि का नाप चौप करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया था, दिनांक 10.03.2021 को किसी प्रकार का कोई अपीलांत द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही दिनांक 10.03.2021 की पेशी चाही, निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व निराधार तथ्य अंकित कर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 16.06.2021 से स्पष्ट है कि पत्रावली पेश हुई, नाप रिपोर्ट अप्राप्त, मिसल दिनांक 09.07.2021 को पेश हो, तत्पश्चात दिनांक 09.07.2021 के पश्चात किसी प्रकार की कोई आदेशिका नहीं लिखी गई, किसी प्रकार की कोई बहस नहीं सुनी गई है, न किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना बहस सुने, बिना अपीलांत को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये, बिना रिकार्ड मंगाये निर्णय पारित कर दिया, जबकि दिनांक 09.07.2021 की कोई आदेशिका पत्रावली पर लिखी गई है, इससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अदावतीवश पटवारी के कहने से निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.07.2021 में अंकित किया है कि पटवारी हल्का, डांगावास ने दिनांक 26.06.2021 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि मौजा डांगावास के खसरा नम्बर 995 रकबा 0.003 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है, जबकि दिनांक 26.06.2021 को कोई तारीख पेशी नहीं थी तथा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अपीलांत की मौजूदगी में तैयार करके प्रस्तुत नहीं की गई थी, सारे तथ्य बनावटी करके गलत निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांत द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, उसके साथ ही अपने स्वामित्व के भूखण्ड का रजिस्ट्री व नक्शा पेश किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांत का मकान खसरा नम्बर 993 के भाग में है तथा संलग्न नक्शों में अपीलांत के भूखण्ड संख्या 28 के चारों तरफ पक्के मकान व अन्य प्लॉटिंग हैं, जिनको किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं माना है, अपीलांत का मकान खसरा नम्बर 993 के मध्य होते हुए भी उसको 995 का भाग माना है जबकि अपीलांत के भूखण्ड के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अन्य भूखण्ड मौजूद हैं, उक्त तथ्य अपीलांत द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.05.2022 को आदेश पारित कर तहसीलदार को अपीलांत के भूखण्ड के चारों तरफ स्थित भूखण्डों की मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश पारित किया था, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश की आज दिन तक किसी प्रकार से तहसीलदार द्वारा पालना नहीं की गई है, न किसी प्रकार का मौका पर जाकर नाप चौप कर मौका रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय में पेश की है, जिससे भी स्पष्ट प्रतीत है कि अपीलांत को तंग व परेशान करने के लिए सारी कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 16.08.2022 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह पूर्णतया गलत व पूर्व रिपोर्ट की प्रतिलिपि बनाकर पेश की गई है किसी प्रकार का मौका नहीं देखा है न ही आस पास के भूखण्डों की मौका स्थिति देखी है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से व अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलांत का भूखण्ड किसी प्रकार से खसरा नम्बर 995 का भाग नहीं है, बल्कि खसरा नम्बर 993 का भाग है, जो खातेदारी का भूखण्ड है जिसमें प्लॉटिंग करके अपीलांत द्वारा मकान बनाया गया है तथा खसरा नम्बर 993 में अपीलांत का मकान है जिसके चारों तरफ भूखण्ड भी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अदावतीवश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का अपीलांत को साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया गया था तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी दिनांक 04.05.2022 को आदेश पारित कर अपीलांत के भूखण्ड के चारों तरफ स्थित भूखण्डों की रिपोर्ट मंगवाई थी, जो पेश नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि पटवारी अपीलांत से नाराज होने से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य होने



कलक्टर, नागौर

उस्मान खां बनाम राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का डांगावास वगैराह का कथन करते हुए अपीलान्त की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में पटवारी डांगावास द्वारा की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2020 के अनुसार अपीलान्त का विवादित खसरा नम्बर 995 रकबा 0.003 हैक्टर गैर मुमकिन गौचर भूमि पर मकान निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट को भू-अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर उक्तानुसार अतिक्रमण पाये जाने पर उक्त रिपोर्ट को दिनांक 31.08.2020 को सत्यापित किया है, जो सही है। अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.10.2020 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट चाही, जिस पर पटवारी डांगावास की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2020 अनुसार मौजा डांगावास के खसरा नम्बर 993 रकबा 4.16 है. में से 1.39 है. भूमि पर श्यामसुन्दर पुत्र बालकिशन द्वारा राजेन्द्र नगर नाम से एक कॉलोनी स्थापित की थी, जिसका प्लॉन नक्शा पटवारी हल्का डांगावास द्वारा प्रमाणित किया गया, जो मुताबिक खसरे के ही था, लेकिन मौके पर कंता उस्मान खां को नक्शा प्लॉन से भिन्न खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर में कब्जा दे दिया गया। उस्मान खां द्वारा भूखण्ड संख्या 28 की रजिस्ट्री के मुताबिक राजस्व रेकॉर्ड के खसरा नम्बर 993 में से करवाई गई थी, लेकिन उस्मान खां को कब्जा भौतिक रूप से खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर में भी दे दिया गया, जिस पर उस्मान खां वर्तमान में काबिज है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पूर्णतया एवं स्पष्ट रूप से साबित है। फिर अपीलान्त द्वारा दिनांक 05.02.2021 को खसरा नम्बर 993 का नाप प्रार्थी की उपस्थिति में करवाने बाबत प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट चाही, जिस पर पटवारी डांगावास द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.02.2021 के अनुसार पूर्व रिपोर्ट अनुसार ही उस्मान खां का कब्जा खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर पर होना बताया है। इसके बाद में दिनांक 10.03.2021 को उस्मान खां ने अपने हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 993 व 995 का नाप प्रार्थी व राजेन्द्र नगर कॉलोनी डांगावास के प्रस्तावक की उपस्थिति में करवाने हेतु पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.03.2021 के द्वारा टीम गठित कर जाँच रिपोर्ट चाही, जिस पर दिनांक 26.06.2021 को भू-अभिलेख निरीक्षक मेड़ता, पटवारी डांगावास, पटवारी शुभदण्ड द्वारा रूबरू मौबिरान वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान संबंध में माप-रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अपीलान्त को मौके पर अतिक्रमण की जद से अवगत करवाया गया, प्रस्तावक माप पूर्ण होने से पूर्व ही मौके से चला गया। अपीलान्त व राजेन्द्र नगर कॉलोनी प्रस्तावक ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। इस प्रकार उक्त माप रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलान्त का वादग्रस्त भूमि अनाधिकृत अतिक्रमण पाया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा भी तहसीलदार मेड़ता से मौका रिपोर्ट मय नक्शा मौका के चाही गई, जिसके क्रम में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक-1412 दिनांक 16.08.2022 से पटवारी डांगावास की रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 भिजवाई है। पटवारी डांगावास की उक्त रिपोर्ट अनुसार मौजा डांगावास के खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर की 0.003 है. भूमि पर अपीलान्त उस्मान खां का कब्जा बरकरार है।

अपीलान्त द्वारा बार-बार पटवारी द्वारा अदावतीवश अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही करना बताया है, परन्तु पटवारी की अपीलान्त से अदावती किस कारण से है, इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया है। अपीलान्त येनकेन प्रकार से उक्त विवादास्पद भूमि गौचर भूमि को हड़प करना चाहता है।

जहाँ तक अपीलान्त का प्रस्तुत अपील में कथन कि मकान कि वास्तविक स्वामी नियामत बानों निवासी डांगावास को पक्षकार नहीं बनाये जाने को लेकर कथन है, तो उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्त द्वारा नियामत बानों के पक्ष में किये गये बेचाननामा जो उप पंजीयक मेड़ता के द्वारा दिनांक 10.03.2017 को पंजीबद्ध किया गया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त उक्त नियामत बानों का पति है, उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब आदि प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है, अधिनस्थ न्यायालय में इस प्रकार का कोई उजर नहीं लिया गया है एवं वादग्रस्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को सही साबित करने का प्रयास किया गया है ऐसी स्थिति में अब अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में सम्पूर्ण कार्यवाही अपनी पत्नी की जानकारी से की गई है। अब नियामत बानों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का कथन स्वीकार्य नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होना अवगत करवाते हुए खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी डांगावास द्वारा की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2020 के अनुसार अपीलान्त का ग्राम डांगावास



उस्मान खां बनाम राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का डांगावास वगैराह के खसरा नम्बर 995 रकबा 0.003 हैक्टर गैर मुमकिन गौचर भूमि पर मकान निर्माण कर नाजायज कब्जा की रिपोर्ट को भू-अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर उक्तानुसार अतिक्रमण पाये जाने पर उक्त रिपोर्ट को दिनांक 31.08.2020 को सत्यापित किया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अपीलान्ट की और से वकलातनामा भी प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में जबाब आदि भी प्रस्तुत किये हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.10.2020 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी डांगावास से रिपोर्ट चाही, जिसके क्रम में पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2020 के अनुसार मौजा डांगावास के खसरा नम्बर 993 रकबा 4.16 है. में से 1.39 है. भूमि पर श्यामसुन्दर पुत्र बालकिशन द्वारा राजेन्द्र नगर नाम से एक कॉलोनी स्थापित की थी, जिसका प्लॉन नक्शा पटवारी हल्का डांगावास द्वारा प्रमाणित किया गया, जो मुताबिक खसरे के ही था, लेकिन मौके पर कंता उस्मान खां को नक्शा प्लॉन से भिन्न खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर में कब्जा दे दिया गया। उस्मान खां द्वारा भूखण्ड संख्या 28 की रजिस्ट्री के मुताबिक राजस्व रेकॉर्ड के खसरा नम्बर 993 में से करवाई गई थी, लेकिन उस्मान खां को कब्जा भौतिक रूप से खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर में भी दे दिया गया, जिस पर उस्मान खां वर्तमान में काबिज है। इस प्रकार उक्त पटवारी की उक्त रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। इसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.02.2021 को खसरा नम्बर 993 का नाप प्रार्थी की उपस्थिति में करवाने बाबत प्रस्तुत किया, जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी डांगावास रिपोर्ट चाही, जिसके क्रम में पटवारी डांगावास द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.02.2021 के अनुसार पूर्व रिपोर्ट अनुसार ही उस्मान खां का कब्जा खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर पर होना बताया है। इसके पश्चात पुनः दिनांक 10.03.2021 को उस्मान खां ने अपने हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 993 व 995 का नाप प्रार्थी व राजेन्द्र नगर कॉलोनी डांगावास के प्रस्तावक की उपस्थिति में करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक-188 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा टीम गठित कर जाँच रिपोर्ट चाही, जिसके क्रम में दिनांक 26.06.2021 को भू-अभिलेख निरीक्षक मेड़ता, पटवारी डांगावास, पटवारी शुभदण्ड द्वारा रूबरू मौबिरान वादग्रस्त भूमि के संबंध में माप-रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अपीलान्ट को मौके पर अतिक्रमण की जद से अवगत करवाया गया, प्रस्तावक माप पूर्ण होने से पूर्व ही मौके से चला गया। अपीलान्ट व राजेन्द्र नगर कॉलोनी प्रस्तावक ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। न्यायालय हाजा द्वारा भी तहसीलदार मेड़ता से मौका रिपोर्ट मय नक्शा मौका के चाही गई, जिसके क्रम में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक-1412 दिनांक 16.08.2022 से पटवारी डांगावास की रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 भिजवाई है। पटवारी डांगावास की उक्त रिपोर्ट अनुसार अनुसार मौजा डांगावास के खसरा नम्बर 995 गै.मु. गौचर की 0.003 है. भूमि पर अपीलान्ट उस्मान खां का कब्जा बरकरार है। उक्तानुसार रिपोर्टों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गोचर भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है।

मकान कि वास्तविक स्वामी नियामत बानों निवासी डांगावास को पक्षकार नहीं बनाये जाने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में यह कि, अपीलान्ट नियामत बानों का पति होना बेचाननामा से स्पष्ट तौर पर जाहिर है तथा उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उक्त संबंध में कोई उजर एतराज प्रस्तुत नहीं किया बल्कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा सही साबित करने के लिए सभी प्रयास किये हैं। उक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा किये गये बहस में विस्तृत कथन किये हैं, उचित है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को निरस्त करने के संबंध में ठोस एवं युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं किया है। इसलिए निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।  
निर्णय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर, नागौर  
कलक्टर, नागौर